ए.

मेसर्स तिरुपति स्टील्स बनाम.

मेसर्स शुभ औद्योगिक कंपनी और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 2941)

बी.

अप्रैल 19,2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) -एस. 19-एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित दल-अपीलकर्ता ने एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के समक्ष दावा याचिका को प्राथमिकता दी-सुलह की विफलता पर, मध्यस्थ-मध्यस्थ को संदर्भित विवाद, एम. एस. एम. ई. सुविधा परिषद के माध्यम से नियुक्त, अपीलकर्ता के पक्ष में पुरस्कार पारित किया-अपीलकर्ता ने निष्पादन याचिका दायर की-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यू/एस.34 मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम-अपीलार्थी ने यू/एस आवेदन प्रस्तुत किया।19 प्रत्यर्थी को निर्देश देने के लिए एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की सं.1-निर्णय देनदार को मध्यस्थता पुरस्कार का 75 प्रतिशत जमा करने की अनुमति-विशेष वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को मध्यस्थता पुरस्कार का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया।34 मध्यस्थता अधिनियम की, अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसने यू/एस के तहत कार्यवाही की अनुमति दी।34 मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार, प्रदान की गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा करने के लिए जोर दिए बिना-चाहे एस के अनुसार प्रदान की गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा हो।19 एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, पुरस्कार यू/एस को चुनौती देते हुए।34 मध्यस्थता अधिनियम को अनिवार्य बनाया गया है या नहीं-आयोजितःएस के अनुसार अग्रिम जमा के रूप में पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता।19 एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम अनिवार्य है-तथापि, अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और यदि अपीलीय न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक को एक बार में अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने के लिए अनुचित कठिनाई होगी, तो

न्यायालय पूर्व-जमा को किश्तों में करने की अनुमति दे सकता है-जब तक कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत जमा नहीं करता, तब तक उसका आवेदन यू/एस।34 मध्यस्थता अधिनियम, पुरस्कार को चुनौती देते हुए कि उस पर विचार नहीं किया जाए और योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाए और उस मामले में, ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

356

357

मेसर्स तिरुपति स्टील्स बनाम मेसर्स शुभ औद्योगिक कंपनी और ए. एन. आर.

निष्पादन कार्यवाही जारी रहेगी-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -एस. 34.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1.**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, **2006** की धारा **19** के अनुसार पुरस्कार के संदर्भ में राशि का **75** प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है।तथापि, उसी समय, अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए और यदि अपीलीय न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक को एक बार में अधिनिर्णीत राशि का **75** प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने में अनुचित कठिनाई होगी, तो न्यायालय पूर्व-जमा को किश्तों में जमा करने की अनुमति दे सकता है।इसलिए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, **2006** की धारा **19** के तहत प्रदान की गई राशि का **75** प्रतिशत पूर्व जमा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है।**[**पैरा **4] [360-**ए-सी**]**

बी.

सी.

1.2.उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत कार्यवाही की अनुमति देने वाला विवादित आदेश**,** प्रदान की गई राशि का **75** प्रतिशत पूर्व जमा करने के लिए जोर दिए बिना**,** अस्थिर है।**[**पैरा **5] [360-**एफ**]**

डी.

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाम अस्का इक्विपमेंट्स लिमिटेड, (2022) 1 एससीसी 61 और गुडइयर (इंडिया) लिमिटेड बनाम।नॉर्टन इंटेक रबर्स (पी) लिमिटेड, (2012)

ई.

6 एस**.** सी**.** सी**. 345-**पर निर्भर।

मेसर्स महेश कुमार सिंगला और एक अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य [सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 23368 में उच्च न्यायालय का निर्णय

2015] – आंशिक रूप से अस्वीकृत।

एफ.

2. प्रत्यर्थी संख्या **1** को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत अपने आवेदन से पहले सम्मानित राशि का **75** प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया जाता है**,** जिसमें पुरस्कार को चुनौती दी जाती है और योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।जब तक और जब तक प्रत्यर्थी संख्या **1** अधिनिर्णीत राशि का **75** प्रतिशत जमा नहीं करता है**,** तब तक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा और उस मामले में निष्पादन की कार्यवाही जारी रह सकती है।**[**पैरा **6] [361-**ए**-**सी**]**

जी.

एच.

ए.

मामला कानून संदर्भ

(2022) 1 एस**.** सी**.** सी **61**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

(2012) 6 एस**.** सी**.** सी**. 345**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2941।

बी.

2019 के एफ. ए. ओ.-कॉम सं. 4 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 09.04.2019 के निर्णय और आदेश से।पंकज भगत, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

डॉ. विनोद कुमार तिवारी, प्रत्यर्थीगणओं के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा वाणिज्यिक अपील मामला सं. एफ. ए. ओ.-सी. ओ. एम./4/2019 (ओ. एंड. एम.), जिसके द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद अधिनियम, 1996 के रूप में संदर्भित) की धारा 37 के तहत कार्यवाही, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (इसके बाद 'एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006' के रूप में संदर्भित) की धारा 19 के तहत दायर किया गया था, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पहली अपीलीय अदालत को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।

डी.

ई.

2. दल एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।इसमें अपीलार्थी ने एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 के तहत गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के समक्ष रु. <आई. डी. 1,053/- की वसूली के लिए एक दावा याचिका दायर की। 1,32,20,100/- जो कुल रु. 2,72,33,153/- पर आता है।सुलह की विफलता पर, विवाद मध्यस्थ को भेजा गया था।चंडीगढ़ में एमएसएमई सुविधा परिषद के माध्यम से नियुक्त मध्यस्थ ने अपीलार्थी के पक्ष में एक पुरस्कार पारित किया।इसके बाद, अपीलार्थी ने फरीदाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष फांसी की याचिका दायर की।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विशेष ए के समक्ष मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया।

एफ.

जी.

एच.

359

मेसर्स तिरुपति स्टील्स बनाम मेसर्स शुभ औद्योगिक कंपनी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम।कि इसमें अपीलार्थी ने एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1-निर्णय देनदार को मध्यस्थता पुरस्कार का 75 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया है।विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर न्यायालय द्वारा विचार किए जाने से पहले मध्यस्थता पुरस्कार का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को छह सप्ताह का समय देते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर उक्त आवेदन को अनुमति दी।विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, जिसमें निर्णय देनदार-प्रत्यर्थी संख्या 1 को मध्यस्थता पुरस्कार का 75 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था और उस शर्त पर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका पर विचार किया जाना था, जो आदेश मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 19 पर विचार करने पर पारित किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एफ. ए. ओ.-सी. ओ. एम./4/2019 वाणिज्यिक अपील दायर की।विवादित आदेश द्वारा, के सी. डब्ल्यू. पी. No.23368 में दिए गए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय पर विचार करते हुए

बी.

सी.

2015 (मेसर्स महेश कुमार सिंगला और एक अन्य बनाम भारत संघ

डी.

और अन्य), जिसके द्वारा, खंड पीठ ने एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अधिकार को बरकरार रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा करना निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है, ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही को अधिनिर्धारित राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा करने पर जोर दिए बिना जारी रखने की अनुमति दी है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही की अनुमति देने वाले विवादित आदेश से व्यथित

और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने इसमें मूल निर्णय लेनदार के रूप में वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

3. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

4. इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अनुसार प्रदत्त राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा करना, जबकि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती देना अनिवार्य कर दिया गया है या नहीं, अब इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए एकीकृत नहीं है।

जी.

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाम अस्का इक्विपमेंट्स लिमिटेड**; (2022) 1** एससीसी **61**।खंड की व्याख्या करते समय

19 एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम, 2006 और विचार में लेने के बाद

एच.

गुडइयर **(**इंडिया**)** लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का पूर्व निर्णय। बनाम।

नॉर्टन इंटेक रबर्स (पी) लिमिटेड; (2012) 6 एस. सी. सी. 345, यह देखा गया है।

और यह अभिनिर्धारित किया कि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 19 के अनुसार पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है।यह भी देखा गया है कि हालाँकि, साथ ही, अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए और यदि अपीलीय न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी/आवेदक को एक बार में पूर्व-जमा के रूप में दी गई राशि का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए अनुचित कठिनाई होगी, तो न्यायालय पूर्व-जमा को किश्तों में करने की अनुमति दे सकता है।इसलिए, यह विशेष रूप से देखा जाता है और माना जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत प्रदान की गई राशि का 75

प्रतिशत पहले जमा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है।उपरोक्त निर्णय के पैरा 13 में, यह निम्नलिखित रूप में मनाया और अभिनिर्धारित किया गया है:-

बी.

सी.

“13. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत दिए गए पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए आवेदन पर विचार करने के समय/उससे पहले, एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 19 को सीधे/निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, अपीलकर्ता-आवेदक को पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करना होगा।पुरस्कार के संदर्भ में राशि का 75 प्रतिशत पूर्व-जमा के रूप में जमा करने की आवश्यकता अनिवार्य है। हालाँकि, साथ ही, अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकने वाली कठिनाई पर विचार करते हुए और यदि अपीलीय न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी-आवेदक को एक बार में पूर्व-जमा के रूप में अधिनिर्णीत राशि का 75 प्रतिशत जमा करने के लिए अनुचित कठिनाई होगी, तो न्यायालय पूर्व-जमा को किश्तों में करने की अनुमति दे सकता है।”

डी.

ई.

5. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अधिनिर्धारित राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा करने के आग्रह के बिना कार्यवाही की अनुमति देने वाला विवादित आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।जैसा कि ऊपर देखा गया है, विवादित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मैसर्स महेश कुमार सिंगला (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ के पहले के एक फैसले पर भरोसा किया है, जिसने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है।इसलिए, मेसर्स महेश कुमार सिंगला (उपरोक्त) के मामले में डिवीजन बेंच का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने विवादित आदेश पारित करते समय भरोसा किया है, को अच्छा कानून नहीं माना जाता है और विशेष रूप से इस हद तक खारिज कर दिया जाता है कि यह मानता है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत दी गई राशि का 75 प्रतिशत पूर्व जमा करना निर्देशिका है और अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

मेसर्स तिरुपति स्टील्स बनाम मेसर्स शुभ औद्योगिक कंपनी और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

6. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 1 को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपने आवेदन से पहले सम्मानित राशि का 75 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार को चुनौती दी जाती है और योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

बी.

यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक प्रत्यर्थी संख्या 1 अधिनिर्धारित राशि का 75 प्रतिशत जमा नहीं करता है, तब तक मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती देने वाले उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा और उस मामले में निष्पादन की कार्यवाही जारी रह सकती है।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.